55

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11/2023/225 सेर शुभम स्वामी बनाम भास्कर स्वामी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2023/11 रेस्पो. 2, 4 से 6 वगैरह श्री अपीलार्थी प्रतिनिधि पन्नालाल श्री विनोद जैन-1, 3, 7, 8	

शुभम स्वामी बनाम भास्कर स्वामी वगैरह (2023/11)

24.5.23 पत्रावली में दिनांक 28.04.2023 को अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रिजर्व रखी गयी थी। पत्रावली के रिजर्व रखते हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने प्रार्थना पत्र पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में ट्रांसफर करने बाबत् पेश किया ,जो शामिल पत्रावली हों। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने बताया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 08 ने आपसी मिलीभगत करके यह अपील प्रस्तुत की हैं। उक्त पक्षकारान अपील में येनकेन प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में करवाना चाहते है इसलिए न्यायिक मंशा व नैतिकता के नाते उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा प्रार्थना–पत्र पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में ट्रांसफर करने बाबत् पेश किये जाने से उक्त पत्रावली में किसी प्रकार के आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझते है तथा उक्त प्रार्थना–पत्र पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में ट्रासंफर करने बाबत् को मान्नीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें कि वे प्रकरण को राजस्व मण्डल की पीठ के समक्ष भिजवायें।

पत्रावली वास्ते मान्नीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने पत्र दिनांक 23.06.2023 को पेश हों। — पत्र 885 24.5.23

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

23.6.23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। माननीय मण्डल से पत का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाब पत्र माननीय मण्डल दिनांक 28.7.23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

28.7.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपील व रेस्पो. 1 से 8 उपस्थित। माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर का पत्रांक: राम/न्याय/स्थो/प-84 (वी)/2023 अजमेर/1534 दिनांक 26.6.23 प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार उपायुक्त ~~टांक की पत्रावली सं. 2023/11 उनवान शुभम स्वामी बनाम भास्कर स्वामी की पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये हैं।~~ माननीय मण्डल के आदेशानुसार न्यायालय टांक मय पत्रावली व सहायक कोसनाद का मामला... लगातार

55

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11/2023/25RT सुमन स्वामी बनाम भास्कर स्वामी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/11 [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible]	
लगातार	की पत्रावली सं. 105/2022 रेवेन्यू सुमन स्वामी बनाम भास्कर स्वामी, निर्णय दिनांक 20.12.2022, पृष्ठ 274 से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को भिजवाई जावे। अभिभाषक उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि न्यायालय रा. अ. प्रा. जयपुर के न्यायालय में दिनांक 10.8.23 को उपस्थित होवे। सहायक [illegible] इसकी कार्यवाही जारी किया जावे कि उक्त पत्रावली रा. अ. प्रा. जयपुर को भिजवाई गई है तथा माननीय मण्डल को सूचित किया जावे कि पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर भिजवाई जा चुकी है पत्रावली फैसलानुसार दफ्तर नम्बर से कम होवे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या.....11...../2023 जिला जयपुर

2023/11

1. शुभम स्वामी पुत्र चेतन स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. विजयलक्ष्मी पुत्री चेतन स्वामी धर्मपत्नी दयाराम, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. रविकान्त स्वामी पुत्र गोपाल दास स्वामी नाबालिग जरिये संरक्षक माता कुसुम स्वामी धर्मपत्नी गोपाल दास स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. भानुप्रकाश पुत्र गोपाल दास स्वामी नाबालिग जरिये संरक्षक माता कुसुम स्वामी धर्मपत्नी गोपाल दास स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. लाभांशी दादूपंथी पुत्री लक्ष्मण स्वामी नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रतिभा दादूपंथी धर्मपत्नी लक्ष्मण स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
6. लाभांश स्वामी पुत्र लक्ष्मण स्वामी नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रतिभा दादूपंथी धर्मपत्नी लक्ष्मण स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट

CamScanner

नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

—— अपीलांट्स

बनाम्

1. भास्कर स्वामी पुत्र स्व0रामदयाल दास, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
2. हरिनारायण स्वामी पुत्र श्री भास्कर स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
3. मोहनदास स्वामी पुत्र श्री भास्कर स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
4. चेतन स्वामी पुत्र श्री भास्कर स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
5. लक्ष्मण स्वामी पुत्र श्री भास्कर स्यामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
6. गोपाल स्वामी पुत्र श्री भास्कर स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)
7. देवाशीष स्वामी पुत्र मोहनलाल स्वामी, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)

CamScanner

8. पूर्वा पुत्री मोहनलाल स्वामी नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती मीरा देवी स्वामी पत्नी मोहनलाल, जाति स्वामी, निवासी प्लाट नम्बर 33, झालाना (बाबाजी की छतरी), इण्डियन गैस गोदाम के पास, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर जिला जयपुर। (राज0)

9. तहसीलदार, उपतहसील बिचून, जिला जयपुर।

10. सबरजिस्ट्रार, उपतहसील बिचून, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 20.12.2022 जो उनके द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105/2022 उनवानी शुभम स्वामी बनाम् भास्कर स्वामी में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन हैं :–

(अ) यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलांट्स/वादीगण ने विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 84, 85, 86, 92/1, 93/1, 94/1, 95, 96, 97, 98, 107 कुल किता 12 रकबा 5.3340 हैक्टर वाके ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर जिलरा जयपुर में अवस्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्री की हुई है जिसका विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1

CamScanner